रजिस्ट्री सं० डी-.222

REGISTERED NO D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1970 (श्रावण 3, 1892)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1970 (SRAVANA 3, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4)

(PART III—SECTION 4

विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

स्टेट बैंक आफ ट्रैवनकोर

(स्टेट बैंक आफ इंडिया की सहायक बैंक)

भारत रवाम अधिनियम द्वारा समामेलित सदस्यों का दायित्व सीमित है

त्रिवेन्द्रम, दिनांक 22 जून 1970

सं० G52/2468—इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक आफ ट्रैवनकोर के शेयरधारियों की साधारण सभा बैंक के मुख्य कार्यालय "अम्ना कचेरी", त्रिवेन्द्रम में बुधवार, 26 अगस्त 1970 को ठीक प्रातः 11 बजे (मानक समय), स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) 1959 के अधिनियम, अनुभाग 33 (i) (ब) के अनुसार तथा अनुभाग 25 के उप-अनुभाग (1) के (सदैव) अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति की श्री एस० डी० पंडित—जो कि अपने निदेशक-पद से, जिसकी अवधि 6-1-1973 तक थी, त्याग-पत्र दे चुके हैं—उनके स्थान पर निदेशक मंडल में निदेशक की चुनौती के लिए बुलाई जा रही है।

एम० डी० वर्मा,
जनरल मैनेजर

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

इन्दौर, दिनांक 20 जून 1970

सं० एम० पी० /(18)-15/69-इस्टे०—इस कार्यालय की अधिसूचना एतद्द्वारा क्रमांक व दिनांक 24 फरवरी 1970 के आंशिक संशोधन में कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) उपबन्धों 1950 के उपबन्ध 10 ए० के अन्तर्गत भोपाल में गठित स्थानीय समिति के सदस्यों की सूची में निम्नलिखित त्रुटियां संशोधित की जाती हैं :—

उपबन्ध 10-ए (डी०) के अन्तर्गत

आयटम क्रमांक 4 श्री नरेन्द्र विट्ठलदास
सेन्ट्रल इण्डिया फ्लोअर मिल्स,
भोपाल।

के स्थान पर पढ़ें—

श्री रणजीत विट्ठल दास,
सेन्ट्रल इण्डिया फ्लोअर मिल्स,
भोपाल।

उपबन्ध 10-ए (ई0) के अन्तर्गत

आयटम क्रमांक 9 श्री गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तवा,
स्ट्रा प्रोडक्ट्स मजदूर यूनियन

के स्थान पर पढ़ें—

श्री गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तवा
कम्यूनिस्ट पार्टी (लालझण्डा यूनियन)
भोपाल।

आयटम क्रमांक 10 श्री दुर्गाप्रसाद तिवारी
टेक्स्टाइल मिल मजदूर कांग्रेस
भोपाल ।

के स्थान पर पढ़ें—

श्री दुर्गाशंकर तिवारी
टेक्स्टाइल मिल मजदूर कांग्रेस
भोपाल ।

स० एम० पी०/(18)-15/69-इस्टै०—इस कार्यालय की अधिसूचना एतद् क्रमांक व दिनांक 24 फरवरी 1970 के आंशिक संशोधन में कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) उपबन्धों 1950 के उपबन्ध 10 ए० के अन्तर्गत बुरहानपुर में गठित स्थानीय समिति के सदस्यों की सूची में निम्नलिखित त्रुटियां संशोधित की जाती हैं :—

उपबन्ध 10-ए (डी०) के अन्तर्गत

आयटम क्रमांक 4 श्री एम० आर० भण्डारी
आफिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट
ताप्ती मिल्स,
बुरहानपुर ।

के स्थान पर पढ़ें—

श्री आर० एस० भण्डारी
सेक्रेटरी,
बुरहानपुर ताप्ती मिल लिमिटेड
बुरहानपुर ।

आयटम क्रमांक 5 श्री वाई० टी० मोदकर
फैक्ट्री सुप्रिन्टेन्डेन्ट,
ताप्ती मिल्स लिमिटेड
बुरहानपुर ।

के स्थान पर पढ़ें—

श्री वाई० टी० मोनकर
फैक्ट्री सुप्रिन्टेन्डेन्ट
बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड
बुरहानपुर ।

आयटम क्रमांक 6 श्री डी० जे० जिल्ला
फीरोज सेठना इण्डस्ट्रीज
बुरहानपुर ।

के स्थान पर पढ़ें—

दि मैनेजर,
बुरहानपुर ताप्ती मिल लिमिटेड
बुरहानपुर ।

एल० पी० गुप्ता,
क्षेत्रीय संचालक

कृषि पुनर्वित्त निगम

30 जून 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शेयरधारियों को प्रस्तुत की गयी निदेशकों की रिपोर्ट

प्रस्तावना

30 जून 1969 को समाप्त हुए वर्ष की छठी वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए निगम के निदेशकों को अपार हर्ष होता है । इस वर्ष के निगम के कार्य-कलापों के परिणामों से यह विदित होता है कि आय कर और शेयर-धारियों को 4 प्रतिशत का विधिक न्यूनतम लाभांश अदा करने के बाद निगम के पास थोड़ी-सी अतिरिक्त राशि बची है । छः वर्षों की अपनी कार्यविधि में शेयरधारियों को न्यूनतम लाभांश अदा करने के अपने विधिक दायित्व को पूरा करने के लिए निगम को पहली बार इस वर्ष ही सरकार से कोई आर्थिक सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 1968-69 में निगम से ली गयी वित्तीय सहायता में तेजी से जो वृद्धि हुई उसके कारण यह प्रगति हुई है ।

भाग 1

समग्र प्रगति

क : वित्तीय

कुल मंजूरियां

2. निगम ने 30 जून 1969 तक 233 योजनाओं को मंजूरी दी थी जिनमें 182.03 करोड़ रुपयों का कुल वित्तीय परिव्यय होगा; उक्त राशि में से 156.48 करोड़ रुपयों की राशि निगम द्वारा किए गए वायदे की राशि थी । योजनाओं की मंजूरी में जो वार्षिक प्रगति हुई वह नीचे दी गई है ।

रुपये करोड़ों में

वर्ष	मंजूर की गई योजनाओं की संख्या*	कुल परिव्यय	निगम का वायदा
1963–64	3	2.23	2.01
1964–65	8	11.02	9.35
1965–66	14	13.31	10.31
1966–67	13	9.18	7.36
1967–68	87	67.08	58.13
1968–69	108	79.21	69.32
	233	182.03	156.48

*पहले मंजूर की गई परन्तु बाद में रद्द की गई योजनाओं को छोड़कर ।

3. पिछले वर्ष (1967-68) निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या में उसके पहले के चार वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी। 1968-69 में मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या और उनके परिव्यय की राशि 1967-68 में मंजूर की गई योजनाओं की संख्या और उनके परिव्यय की राशि की अपेक्षा अधिक थी। यह वृद्धि विशेष रूप से पिछले दो वर्षों में निगम द्वारा किए गए ऐसे प्रयत्नों का परिणाम थी, जिनसे उसके द्वारा दिए जानेवाले पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त करने में आसानी हो।

वायदा और आहरण

4. निगम द्वारा मंजूर की गयी प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में किए गए उसके वायदे की अवधि वर्षों तक व्यापक रहती है। यह अवधि योजना मंजूर करते समय अनुमोदित व्यवस्था या बाद में स्वीकृत पुनर्व्यवस्था पर निर्भर रहती है। उपर्युक्त कारण से किसी अवधि में निगम से आहरित किए गए पुनर्वित्त की रकम योजनाओं के परिव्यय की व्यवस्था के अनुसार उस अवधि में अपेक्षित आहरणों से सापेक्ष है। 1963-64 से 1968-69 तक निगम से जिस रकम के आहरण की अपेक्षा थी उसका विवरण उससे वास्तव में आहरित की गई रकम के विवरणों के साथ निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

रुपए करोड़ों में

वर्ष	वर्ष के अन्त तक मंजूर की गई योजनाओं की संख्या	योजनाओं के सम्बन्ध में की और उनकी प्रावस्था के अनुसार निगम द्वारा किया गया वायदा		निगम के डिबेंचरों में अभिदान और निगम से लिए गए ऋण		वायदे की राशि में आहरित राशि का प्रतिशत	
		वर्ष में	वर्ष के अन्त तक	वर्ष में	वर्ष के अन्त तक	वर्ष में	वर्ष के अन्त तक
1963-64	3	—	—	—	—	—	—
1964-65	13	4.47	4.47	0.45	0.45	10.1	10.1
1965-66	36	8.28	8.73	4.45	4 90	53 7	56.1
1966-67	42	9.40	14.30	2.08	6.98	22.1	48.8
1967-68	128	18 50	25.48	5.67	12.65	30.6	49.6
1968-69	233	45 94	58.59	17.84	30.49	38.8	52.0

5. एक ओर योजनाओं के परिव्यय की व्यवस्था के अनुसार निगम द्वारा वायदा की गई निधियों और दूसरी ओर उससे प्राप्त किए गए पुनर्वित्त की राशि के बीच जो व्यापक अन्तर है वह द्रष्टव्य है। फिर भी, इस सम्बन्ध में होनेवाले कार्य में बराबर सुधार होता रहा है जो अधिकांशतः वित्तीय व्यवस्था करने वाले बैंक का कार्यान्वयन क्षमता और राज्य सरकारों के सहायक प्रयत्नों पर आधारित है।

6. संबंधित क्षेत्र के कृषकों का सभाव्य अभिगम को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को व्यावहारिक बनाना और उनकी प्रावस्थाएं निर्धारित करना, योजनाओं के अधीन ऋण-आवेदनपत्र प्राप्त करने के लिए प्रचार करने और उनकी जांच करने के लिए वित्तीय बैंकों में पर्याप्त कर्मचारी वर्ग का होना, योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित तकनीकी कर्मचारी वर्ग, उपकरणों और सामग्री का उपलब्ध होना, और निगम द्वारा निर्धारित पुनर्वित्त सम्बन्धी शर्तों को स्वीकार करने में राज्य सरकारों और वित्तीय व्यवस्था करनेवाले बैंकों में होनेवाले क्रियाविधि-सम्बन्धी विलम्ब को कम करना आदि कुछ ऐसे तत्व है जो निगम के वायदे की रकम और वित्तीय व्यवस्था करनेवाले बैंकों द्वारा किसी निर्धारित अवधि में उन वायदों पर आहरित की गई रकम के बीच होनेवाले अन्तराल को और कम करने में सहायक हो सकते है। कतिपय क्षेत्रों में कृषि विकास कार्य की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए कृषकों में अपने निजी वित्तीय साधनों का उपयोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है; इससे ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के लिए की जानेवाली मांग में कमी हो गई है। साथ ही चूंकि निगम द्वारा मंजूर किए गए वित्तीय परिव्यय और उनसे सम्बन्धित निगम के वायदे औसत स्थितियों पर आधारित है अतः यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि प्रायोजनाकृत परिव्ययों और उनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए निधि की मांग में संपूर्ण तालमेल हो। उपर्युक्त दो तथ्यों के कारण मूलतः जो अनुमान किया गया है उसकी तुलना में जिस सीमा तक कम निवेश या ऋण सहायता के साथ योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है उस सीमा तक योजनाओं के अधीन प्राप्त होनेवाली वास्तविक उपलब्धियों और उनसे मिलनेवाले लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निगम के वायदे और उसके वित्तीय साधनों के उपयोग के बीच होनेवाले अंतराल के महत्व का मूल्यांकन करते समय उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए।

7. उद्देश्य, वित्तीय व्यवस्था करनेवाली एजेन्सी और राज्य के अनुसार निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के वितरण का विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

उद्देश्य के अनुसार योजनाएँ

8. निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का उद्देश्य के अनुसार वितरण और उनके अधीन होनेवाले वित्तीय परिव्यय के

विवरणों की जानकारी परिशिष्ट 1 में दी गई है । विभिन्न उद्देश्यों के लिए मंजूर की गई योजनाओं की कुल संख्या 233 थी; उनमें से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मंजूर की गयी योजनाएं निम्न प्रकार थी । लघु सिंचाई 125, भूमि सुधार और विकास जिसमें भूमि संरक्षण भी शामिल है 32, बागान और बागबानी का विकास 62, ट्रैक्टरों और बिजली चालित हलों की सहायता से खेती का मशीनीकरण 2, मुर्गी पालन 5, मछली क्षेत्र का विकास 5, डेरी विकास 1, भण्डारों का निर्माण 1 । कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बनायी गई देश की योजनाओं में सिंचाई योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण निगम ने अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा लघु सिंचाई के क्षेत्र में अपने वित्तीय साधनों का अधिक उपयोग करने के लिए अनेक कदम उठाए । उनके कारण हाल ही के वर्षों में निगम के कारोबार में लघु सिंचाई योजनाओं का जो महत्वपूर्ण स्थान हो गया था वह जारी रहा । राज्यों ने इस नीति के महत्व को समझ लिया है और बड़े उत्साह के साथ इसको स्वीकार किया है, फिर भी यह कहना ही चाहिए कि निगम को पेश करने के लिए योजनाओं का जो प्रारम्भिक स्वरूप बनाया जाता है उसमें और सुधार किए जाने की अपेक्षा रहती है ।

वित्तीय सहायता करनेवाली एजेन्सियों के अनुसार योजनाएं

9. निगम से पुनर्वित्त प्राप्त करने योग्य वित्तीय सहायता करनेवाली एजेन्सियों के अनुसार मंजूर की गई योजनाओं के वितरण और उनके अधीन होनेवाले वित्तीय परिव्यय के विवरणों की जानकारी परिशिष्ट 2 में दी गई है । मंजूर की गई योजनाओं के तीन चौथाई से अधिक और मंजूर किए गए परिव्यय के 9/10 से अधिक हिस्सा भूमि विकास बैंकों का था जो खेतों पर किए जानेवाले पूंजी निवेश की सीधे वित्तीय सहायता करने के लिए विशेष रूप से संगठित की गई देश की एकमात्र संस्थाएं हैं । शेष योजनाओं में से अधिकाश योजनाएं राज्य सहकारी बैंकों की अपेक्षा वाणिज्य बैंको के लिए मंजूर की गई थीं । फिर भी, राज्य सहकारी बैंको द्वारा पुनर्वित्त की व्यवस्था की गई योजनाओं में से प्रत्येक योजना पर जो औसत वित्तीय परिव्यय हुआ वह वाणिज्य बैंकों द्वारा पुनर्वित्त की व्यवस्था की गई योजनाओं के औसत परिव्यय की अपेक्षा अधिक था । क्योंकि वाणिज्य बैंकों ने अब तक अलग-अलग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए निगम से पुनर्वित्त की मांग की है, किन्तु राज्य सहकारी बैंको ने किसानो के उन वर्गों को जो सहकारी समितियों के रूप में संगठित हुए हैं, वित्तीय सहायता देने के लिए निगम से पुनर्वित्त की मांग की है । उपर्युक्त कारण से राज्य सहकारी बैंकों के लिए मंजूर की गई योजनाओं के परिव्यय की राशि वाणिज्य बैंकों के लिए मंजूर की गई योजनाओं के परिव्यय की राशि की अपेक्षा अधिक थी । क्षेत्रीय विकास योजनाओं को वित्तीय सहायता करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निगम ने अनेक प्रयत्न किए हैं ताकि क्षेत्र के अधिक कृषकों को लाभ मिल सके । यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त प्रयत्नों का निगम के कार्यकलापों पर यथासमय उचित प्रभाव पड़ेगा ।

राज्यों के अनुसार योजनाएं

10. निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का देश के विभिन्न राज्यों के अनुसार वितरण और उनके अधीन होनेवाले परिव्यय के विवरणों की जानकारी परिशिष्ट 3 में दी गई है ।

11. निगम ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के सम्बन्ध में जो वायदे किए थे उनके अनुसार उक्त राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में निगम से प्राप्त पुनर्वित्त का काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोग किया है । आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू और काश्मीर तथा तमिलनाडु राज्यों के सम्बन्ध में भी निगम ने जो वायदे किए थे उनके अनुसार उक्त राज्यों ने पर्याप्त मात्रा में निगम द्वारा मंजूर किए गए पुनर्वित्त का उपयोग किया है ।

ख : पण्यगत

12. इस प्रसंग में वित्तीय सहायता करनेवाले बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर निगम द्वारा जिन योजनाओं के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया गया था उनकी पण्यगत उपलब्धियों की कतिपय विशेषताओं का यहां उल्लेख किया जा सकता है । लघु सिंचाई के क्षेत्र में 13,240 नलकूपों और 4,982 नए कुओं का निर्माण किया गया है और 635 पुराने कुओं का नवीकरण किया गया है । इनमें से अधिकांश कुओं में बिजली चालित मोटरें और पंपसेट लगाकर उनको शक्तिचालित बनाया भी गया है और अधिकांश मामलों में नहर बनाकर कुओ से खेतों मे पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है । लगभग 4.45 लाख एकड़ सूखी भूमि को समतल बनाया गया है और उसे सिंचाई के योग्य बनाने के लिए सुधारा गया है । आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना के अधीन 2.02 लाख एकड़ भूमि को और तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर परियोजना के अधीन 0.21 लाख एकड़ भूमि को सुधारा गया है । तमिलनाडु में परंबिकुलम अलियार परियोजना के अधीन 0.52 लाख एकड़ भूमि को सुधारा गया है । मैसूर में तुगभद्रा , भद्रा और घटप्रभा भूमि सुधार योजनाओं के अधीन लगभग 0.66 लाख एकड़ भूमि को समतल बनाया गया है । महाराष्ट्र में भूमि संरक्षण योजनाओं के अधीन 4.24 लाख एकड़ भूमि को सुधारा गया है । बागान योजनाओं के अधीन 14,862 एकड़ भूमि को विकसित किया गया है; उसमें सेब की 6,717 एकड़ भूमि, नारियल की 2,711 एकड़ भूमि, काफ़ी की 1,521 एकड़ भूमि, सुपारी की 1,204 एकड़ भूमि, चाय की 1,070 एकड़ भूमि, रबड़ की 940 एकड़ भूमि, संतरे की 356 एकड़ भूमि, इलायची की 226 एकड़ भूमि और अंगूर की 101 एकड़ भूमि शामिल है । कृषकों को जो बिजलीचालित हल और ट्रैक्टर दिए गए उनकी संख्या क्रमशः 35 और 130 थी । मछली क्षेत्र के विकास की योजनाओं के अधीन 180 मशीनीकृत नावें बनाई गईं । 70,000 मी० टन की संग्रहण क्षमता युक्त गोदामों का निर्माण-कार्य विभिन्न चरणों में है ।

भाग II

1968–69 के कार्यकलाप

क: मंजूर की गयी योजनाएं

13. पिछले पैराग्राफ़ों में 1968-69 के अन्त तक की निगम की गतिविधियों का सामान्य विवरण दिया गया है। आगे के पैराग्राफ़ों में 1968-69 के निगम के कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है ।

उद्देश्य के अनुसार योजनाएं

14. निम्नलिखित तालिका में 1968-69 में निगम द्वारा मंजूर की गई विभिन्न प्रकार की योजनाएं दर्शाई गई हैं :

(रुपए करोड़ों में)

योजनाओं का प्रकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय परिव्यय	निगम के वायदे	राज्य सरकारों और बैंकों के वायदे
लघु सिंचाई	71	64.92	58.43	6.49
भूमि सुधार	7	7.50	5.63	1.87
बागान/बागबानी	26	3.99	3.05	0.94
मुर्गी पालन	2	0.10	0.04	0.06
डेरी	1	0.83	0.30	0.53
गोदाम	1	1.87	1.87	—
	108	79.21	69.32	9.89

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 71 लघु सिंचाई योजनाएं मंजूर की गईं । इन योजनाओं के अधीन 32,169 कुओं और 34,875 नलकूपों का निर्माण करने और 27,080 डीजल/बिजली द्वारा चालित पंपसेटों की स्थापना करने का संकल्प किया गया है ।

15. आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पजाब और राजस्थान में सात भूमि सुधार योजनाएं मंजूर की गईं, इन योजनाओं के अन्तर्गत नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश), चंबल (राजस्थान), हीराकुड और देजंग (उड़ीसा) और चौहाट (पंजाब) सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आनेवाली 1.63 लाख एकड़ भूमि का विकास कार्य शामिल था । बागान और बागबानी के विकास की 26 योजनाएं चाय, काफी, इलायची, नारियल, आम जैसी फ़सलों से सम्बन्धित थी । इन योजनाओं के अधीन 19,147 एकड़ भूमि के विकास की परिकल्पना की गई थी । मैसूर और केरल में दो मुर्गी-पालन योजनाएं मंजूर की गईं । गोदाम योजना के अधीन पंजाब की 79 मंडियों में 85 गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिनकी संग्रहण क्षमता 1.56 लाख मी० टन होगी । उत्तर प्रदेश में एक डेरी फ़ार्म का विकास करने और सपरेटा पाउडर संयंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से डेरी योजना बनायी गई है ।

वित्तीय सहायता करने वाली एजेंसियों के अनुसार योजनाएं

16. 1968-69 में निगम ने वित्तीय सहायता करनेवाली जिन एजेंसियों द्वारा योजनाएं मंजूर कीं, वे निम्न प्रकार हैं :—

(रुपए करोड़ों में)

वित्तीय सहायता करनेवाली एजेंसियां	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय परिव्यय	निगम के वायदे	राज्य सरकारों और बैंकों के वायदे
केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	86	75.70	66.52	9.18
राज्य सहकारी बैंक	1	1.87	1.87	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	21	1.64	0.93	0.71
	108	79.21	69.32	9.89

केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा कार्यन्वित की जानेवाली 86 योजनाओं में कुल 71 लघु सिंचाई योजनाएं, सात भूमि सुधार योजनाओं में से छः योजनाएं और 26 बागान और बागबानी विकास योजनाओं में नौ योजनाएं शामिल हैं । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा मंजूर की गई 21 योजनाओं में से 1 योजना भूमि विकास से, 17 योजनाएं बागान विकास से, 2 योजनाएं मुर्गीपालन से और 1 योजना डेरी विकास से सम्बन्धित थी । पंजाब के राज्य सहकारी बैंकों द्वारा आधुनिक गोदामों और

साइलो के निर्माण के लिए एक योजना मंजूर की गई । इस योजना से उक्त राज्य में भारी मात्रा में पैदा होनेवाले गेहूं और दूसरे कृषि पण्यों के विपणन के लिए आवश्यक अतिरिक्त भण्डार सुविधाओं की आंशिक पूर्ति होगी ।

राज्यों के अनुसार योजनाएं

17. इस वर्ष निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का राज्यों के अनुसार वितरण आगे दी गई सारणी में दिया गया है। आंध्र प्रदेश और पंजाब में मंजूर की गई योजनाओं के परिव्यय की राशि 20 करोड़ रुपयों से अधिक थी । उक्त परिव्यय की राशि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 8 करोड़ रुपयों और 13 करोड़ रुपयों के बीच थी और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मैसूर, केरल और तमिलनाडु में 1 करोड़ रुपयों और 4 करोड रुपयों के बीच थी और शेष राज्यों में वह 1 करोड रुपयों से कम थी ।

(रुपए करोड़ों में)

राज्य का नाम	योजनाओं की संख्या	वित्तीय परिव्यय	निगम के वायदे	राज्य सरकारों, बैंकों और पार्टियों के वायदे
1. आन्ध्र प्रदेश	40	21.38	18.21	3.17
2. असम	1	0.07	0.07	कुछ नहीं
3. गुजरात	6	2.78	2.50	0.28
4. हरियाणा	1	3.90	3.51	0.39
5. जम्मू और काश्मीर	1	0.30	0.23	0.07
6. केरल	2	1.07	0.93	0.14
7. मध्य प्रदेश	5	8.08	7.27	0.81
8. मैसूर	15	1.32	1.00	0.32
9. उड़ीसा	2	0.35	0.26	0.09
10. पंजाब	10	20.42	18.48	1.94
11. राजस्थान	5	3.86	3.38	0.48
12. तमिलनाडु	7	2.69	2.25	0.44
13. उत्तर प्रदेश	12	12.75	11.03	1.72
14. पश्चिम बंगाल	1	0.24	0.20	0.04
	108	79.21	69.32	9.89

आहरण

18. मंजूर की गई योजनाओं के संबंध में इस वर्ष निगम ने जो रकम वितरित की उसका उल्लेख परिशिष्ट 4 में राज्यों, वित्तीय सहायता करनेवाली एजेंसियों के प्रकार और पुनर्वित्त के उद्देश्य के अनुसार किया गया है । निगम द्वारा वितरित की जानेवाली रकम में उसकी स्थापना से लेकर प्रतिवर्ष जो वृद्धि हुई है वह नीचे दी गई है :

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	वितरित रकम
1963-64	—
1964-65	0.45
1965-66	4.45
1966-67	2.08
1967-68	5.67
1968-69	17.84
	30.49

1968-69 में पंजाब और हरियाणा ने अधिकतम रकमें आहरित की; ये रकमें क्रमशः 5.77 करोड़ रुपये और 2.44 करोड़ रुपये थी । गुजरात (1.93 करोड़ रुपये), आंध्र प्रदेश (1.71 करोड़ रुपये), मैसूर (1.35 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (1.26 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (1.22 करोड़ रुपये) द्वारा ली गई रकमें 1 करोड़ रुपयों से अधिक थी । राज्यों ने जो रकम ली, उसका अधिकांश भाग लघु सिंचाई योजनाओं के अधीन था, किन्तु आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने भूमि सुधार योजनाओं के अधीन अधिक रकम ली ।

ख : योजनाओं की पुनर्व्यवस्था

19. अनेक बैंकों ने इसके पहले के वर्षों में निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं तथा कुछ मामलों में इस वर्ष मंजूर की गई योजनाओं की पुनर्व्यवस्था या परिशोधन करने के लिए निगम से प्रार्थना की । मुख्यतः लघु सिंचाई के विकास से संबंधित 40 योजनाओं की पुनर्व्यवस्था करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का इस वर्ष अनुमोदन किया गया । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों

ने योजनाओं की पुनर्व्यवस्था के संबंध में जो दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये उनका भी इस वर्ष अनुमोदन किया गया। इनमें से एक प्रस्ताव असम के चाय बागानों का विकास करने और दूसरा प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में पपसेटों की पूर्ति करने से संबंधित था। योजनाओं की पुनर्व्यवस्था संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय निगम वित्तीय सहायता करने वाली एजेंसियों द्वारा कार्य करने में अनुभव की गई कठिनाइयों की वास्तविकता पर विचार करता है; इन कठिनाइयों में तकनीकी कर्मचारी वर्ग उपकरण या सामग्रियों का उपलब्ध न होना शामिल है। इसके अलावा योजनाओं का प्रारम्भिक स्वरूप बनाते समय निगम उनके संगठनात्मक पहलू पर भी अधिकाधिक ध्यान देता है ताकि उनकी पुनर्व्यवस्था करने की आवश्यकता बहुत कम हो जाए।

20. 1968-69 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने ऐसी छः योजनाओं को वापिस ले लिया जिन पर 0.40 करोड़ रुपयों का परिव्यय होने वाला था। यह इस कारण किया गया कि बैंकों ने उनको कार्यान्वित करने में अपर्याप्त जमानत, संपत्ति के दोषपूर्ण स्वामित्व आदि जैसी कतिपय कठिनाइयां अनुभव की। एक केन्द्रीय भूमि सुधार बैंक द्वारा भूमि सुधार के लिए मंजूर की गई 32 लाख रुपयों के परिव्यय की एक योजना भी इस वर्ष वापस ले ली गयी, क्योंकि संबंधित राज्य सरकार ने परिव्यय की राशि को 60 लाख रुपयों तक बढ़ाकर उक्त योजना को परिवर्तित करने का निश्चय कर दिया था।

ग : अध्ययन

21. 1968-69 के आरंभ में निगम के विचाराधीन जो 134 योजनाएं थी, उनके अलावा निगम को 1968-69 में 257 योजनायें प्राप्त हुईं। इन 391 योजनाओं में से 243 योजनाएं भूमि विकास बैंकों द्वारा, 122 योजनाएँ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा और 26 योजनाएँ राज्य सहकारी बैंकों द्वारा पेश की गयी थी। इस वर्ष निगम के अधिकारियों ने आर्थिक दृष्टि से 114 योजनाओं की उपयुक्तता के संबंध में अध्ययन कार्य समाप्त किया। निगम को भारी संख्या में जो योजनाएँ प्राप्त हुईं उनकी जांच करने में उसे कर्मचारियों की बड़ी भारी कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए आगामी वर्ष अर्थात् 1969-70 में अधिक संख्या में कर्मचारी-वर्ग को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। निगम ने अपनी नामिका में रहने वाले तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा और साथ ही, नलकूप गवेषणा संगठन, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था और चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और इलायची बोर्ड आदि सांविधिक पण्य बोर्डों द्वारा योजनाओं की तकनीकी उपयुक्तता सम्बन्धी अध्ययन कराने की भी व्यवस्थाएं कीं। इस वर्ष 141 योजनाओं की तकनीकी उपयुक्तता के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

22. संबंधित बैंकों द्वारा वितरित किए गये ऋणों के उपयोग की जांच करने और योजनाओं को कार्यान्वित करते समय होने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए निगम के अधिकारियों ने ऋणों के उपयोग और योजनाओं की प्रगति के संबंध में क्षेत्रीय अध्ययन किया। इन अध्ययनों के आधार पर जो खामियां पायी गयी उनकी ओर राज्य सरकारों और वित्तीय सहायता करने वाले बैंकों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही के लिए आकर्षित किया गया।

घ : विचाराधीन योजनाएं

23. 30 जून 1969 को 274.60 करोड़ रुपयों के परिव्यय की 254 योजनाएँ निगम के विचाराधीन थीं। इन योजनाओं के संबंध में निगम ने जो वायदे किए उनकी राशि फिलहाल 232.04 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं में से 247.94 करोड़ रुपयों के परिव्यय की 171 योजनाएँ केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों की, 24.54 करोड़ रुपयों के परिव्यय की 21 योजनाएँ राज्य सहकारी बैंकों की और 2.12 करोड़ रुपयों के परिव्यय की 62 योजनाएँ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की थी। विचाराधीन योजनाओं का राज्यों और विकास के उद्देश्यों के अनुसार वितरण परिशिष्ट 5 में दिया गया है।

24. निगम द्वारा जिन योजनाओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है उन पर होने वाले परिव्यय का विवरण राज्यों और उद्देश्यों के अनुसार पृष्ठ 474 पर दिया गया है।

ङ : विकासात्मक प्रयत्न

25. निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनरीक्षण करने, इस सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाने और उनका समाधान ढूँढ निकालने और निगम के विचारार्थ राज्यों द्वारा बनायी जाने वाली नयी योजनाओं के प्रकारों पर विचार करने के उद्देश्य से आलोच्य वर्ष में निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने अधिकांश राज्यों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किये। विचार-विमर्शों का विवरण प्रत्येक राज्य के संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया ताकि विचार-विमर्शों के दौरान किये गये निर्णयों के अनुसार आगे कार्रवाई करने में जो उन्हें सुविधा हो। योजनाओं को कार्यान्वित करने में जो अधिक महत्वपूर्ण त्रुटियां पाई गयी उनकी ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया।

26. निगम ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों के लिए कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बम्बई और अहमदाबाद में पांच क्षेत्रीय विचार गोष्ठियों का आयोजन किया। इन गोष्ठियों का उद्देश्य यह था कि उन्हें कृषि में किये जाने वाले पूंजी निवेश के लिए दीर्घावधि ऋणों द्वारा वित्तीय सहायता देने के संबन्ध में निगम और रिजर्व बैंक को जो अनुभव प्राप्त हुआ हो उसकी जानकारी दी जाए और इस उद्देश्य के लिए निगम से पुनर्वित सुविधाएं प्राप्त करने की क्रियाविधि संबन्धी और दूसरे पहलुओं से उन्हें परिचित कराया जाए। निगम के प्रबन्ध निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने इन विचार गोष्ठियों में भाषण दिये। अधिकांश बैंकों ने निगम तथा रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विकास संबन्धी इस कार्य की सराहना की और यह इच्छा प्रकट की कि ऐसी विचार गोष्ठियां बार-बार आयोजित की जाएं।

27. इस उद्देश्य से कि निगम द्वारा दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं की सहायता से वाणिज्य बैंक कृषि विकास की वित्तीय सहायता के क्षेत्र में प्रवेश कर सके, निगम के अध्यक्ष ने विभिन्न राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों से प्रार्थना की कि वे निगम को कृषि विकास संबंधी उन योजनाओं के क्षेत्रों और स्वरूप से संबंधित पर्याप्त विवरण भेजें जिनकी वित्तीय सहायता करने का कार्य वाणिज्य बैंक अपने-अपने राज्यों में शुरू कर सकते हैं। इस संबंध में कतिपय राज्यों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसे भारतीय बैंक संगठन और कृषि वित्त निगम लि० के पास इस उद्देश्य से भेजा गया कि वे उसे अपने सदस्य बैंकों के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करें।

(रुपये करोड़ों में)

राज्य का नाम	30 जून 1969 को निगम के विचाराधीन रहने वाली योजनाओं के परिव्यय की राशि	योजना का प्रकार	30 जून 1969 को निगम के विचाराधीन रहने वाली योजनाओं के परिव्यय की राशि
1. पंजाब	77.26	लघु सिंचाई	162.45
2. महाराष्ट्र	40.29	ट्रैक्टर	54.36
3. उत्तर प्रदेश	31.83	बागान और बागबानी	16.52
4. मैसूर	24.92	भूमि सुधार	15.08
5. गुजरात	21.78	गोदाम	9.18
6. आन्ध्र प्रदेश	19.58	ठंडे गोदाम	5.68
7. केरल	15.06	भूमि संरक्षण	3.94
8. तमिलनाडु	10.79	डेरी	3.75
9. हरियाणा	8.55	मछली क्षेत्र	3.17
10. मध्य प्रदेश	8.33	सुअर-पालन	0.21
11. बिहार	6.12	मुर्गी-पालन	0.20
12. राजस्थान	5.36	भेड़ों की नस्ल बढ़ाना	0.06
13. उड़ीसा	3.26		
14. जम्मू और काश्मीर	0.95		
15. असम	0.45		
16. पश्चिम बंगाल	0.07		
	274.60		274 60

28. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई के बैंकर प्रशिक्षण कालेज में वाणिज्य बैंकों के अधिकारियों के लाभ के लिए कृषि संबंधी वित्तीय व्यवस्था पर नियमित पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। निगम के अधिकारियों ने इन पाठ्यक्रमों में, विशेष रूप से जिन योजनाओं को निगम वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है उनपर और इससे संबंधित निगम की नीतियों पर भाषण देकर और विचार गोष्ठियों का संचालन कर उक्त कालेज की सहायता की।

भाग III

ऋण नीतियां

क : सामान्य

लघु सिंचाई

29. आलोच्य वर्ष में निगम ने पुनर्वित्त सुविधाएं मंजूर करने से संबंधित नीतियों और क्रियाविधियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। लघु सिंचाई योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले विशेष विकास डिबेंचरों में राज्य सरकारों को जो अंशदान करना है उसकी राशि को कम कर 10 प्रतिशत अन्यून राशि का अंशदान करने की सुविधा दी गई थी जबकि योजनाओं के अन्य वर्गों के मामलों में उन्हें 25 प्रतिशत का अंशदान करने की आवश्यकता है। किन्तु उक्त सुविधा की अवधि 30 जून 1969 को समाप्त होने वाली थी; परन्तु उसे एक और वर्ष तक अर्थात् 30 जून 1970 तक बढ़ा दिया गया।

संग्रहण

30. इस वर्ष निगम ने यह भी निश्चय किया कि कृषकों या सहकारी विपणन समितियों जैसे कृषकों के संगठनों द्वारा कृषि उत्पादों का संग्रहण किये जाने के लिए गोदामों और साइलों का निर्माण करने के निमित्त पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की जाएं, क्योंकि यह आशंका की गई थी कि अतिरिक्त गोदामों के निर्माण कार्य की जो प्रगति हुई वह कृषि उत्पादन में, विशेषकर उन क्षेत्रों के कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं थी जहां अधिक उपज वाली किस्मों के नये बीजों का उपयोग किया जा रहा था। पर्याप्त संग्रहण सुविधाओं की कमी के कारण कृषकों को अलाभदायक मूल्यों पर अपने उत्पादों को बेचना पड़ सकता है। अतः यह अनुभव किया गया कि जिन क्षेत्रों की योजनाओं के लिए निगम ने पुनर्वित्त प्रदान किया है, उन क्षेत्रों में अतिरिक्त गोदामों का निर्माण किए बिना वहां कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि को लगातार बनाये नहीं रखा जा सकता। उपर्युक्त कारण से निगम ने यह निश्चय किया कि प्रारम्भ में प्रायोगिक रूप से उन राज्य

सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त की सुविधाएं दी जाएं जिन्होंने सहकारी विपणन समितियां को इस उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की हो कि वे समितियां अपने उपयोग के लिए या संबंधित क्षेत्र के कृषि उत्पादकों के उपयोग के लिए आधुनिक गोदामों का निर्माण कर सकें। बाद में यह सुविधा उन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भी दी गई जिन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्रों से उद्यमकर्ताओं को इस उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की हो कि वे आधुनिक गोदामों का निर्माण कर उन्हें कृषकों या कृषकों के संगठनों को किराये पर दे सकें। इस वर्ष सहकारी विपणन समिति द्वारा गोदाम निर्माण किये जाने की एक योजना पंजाब राज्य सहकारी बैंक लि० द्वारा मंजूर की गई।

ख: वाणिज्य बैंक

बिजली बोर्ड के पास जमा राशियां

31. वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय विचार गोष्ठियों का आयोजन करने के अलावा वाणिज्य बैंकों के लिए पुनर्वित्त की सुविधाएं मंजूर करने से संबंधित ऋण-नीति और क्रियाविधि में कतिपय संशोधन किये गये। भूमि विकास बैंक इस उद्देश्य से कि कृषक अपने कुओं में बिजली लगाने के लिए बिजली बोर्डों से बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने के निमित्त उन बोर्डों में निर्धारित रकम जमा के रूप में रख सकें, कृषकों को जो ऋण देते है उनके लिए उन बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे सुविधाएं इस वर्ष अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भी इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा कृषकों को दिये जानेवाले ऋणों के सम्बन्ध में दी गई। यह भी निश्चित किया गया कि सघन क्षेत्रों के कृषि विकास की योजनाएं बनाने की जो शर्त है उस पर पंपसेट, ट्रैक्टर और दूसरे उपकरण खरीदने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में जोर न दिया जाए बशर्ते कि संबंधित बैंक ऋणों के उपयोग का पर्याप्त पर्यवेक्षण करने के लिए उचित कदम उठायें और यह सुनिश्चित कर लें कि कृषक जो उपकरण खरीदते हैं उनके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।

ब्याज की दर

32. इस वर्ष निगम ने यह भी निश्चय किया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक निगम से प्राप्त पुनर्वित्त से अंतिम उधारकर्ता को दिये जाने वाले ऋणों पर जो ब्याज लेते हैं उसकी उच्चतम सीमा को ऐसे संदर्भों में वार्षिक 8½ प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने की अनुमति दी जाय जहां अंतिम उधारकर्ता को चीनी कारखाने या सहकारी विपणन समिति या माल तैयार करने वाली सहकारी समिति जैसी किसी मध्यवर्तीसंस्था द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। निगम से यह अभिवेदन किया गया था कि ब्याज दर में इस प्रकार वृद्धि करना इस कारण आवश्यक है कि इससे बैंक उस मध्यवर्ती एजेन्सी को सेवा शुल्क अदा कर सकेगा जो योजना को कार्यान्वित करने में कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन देना, उनको दिए गए ऋणों के उपयोग का पर्यवेक्षण करना और उनकी वसूली करना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है।

जमानत

33. निगम से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा निगम को दी जाने वाली जमानत के स्वरूप में इस वर्ष एक महत्वपूर्ण रियायत दी गयी। वाणिज्य बैंकों के पास जमानत के रूप में रखी गयी संपत्ति के, बैंकों द्वारा उपबन्धक या उपदृष्टिबन्धक रखे जाने पर उसकी जमानत पर निगम वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं देता आ रहा था। जब कतिपय वाणिज्य बैंकों ने इस क्रियाविधि से होने वाली कठिनाइयों के संबंध में अभिवेदन किया तब निगम ने यह स्वीकार किया कि उपर्युक्त क्रियाविधि के विकल्प में अंतिम उधारकर्ता अपनी संपत्ति को वित्तीय सहायता करने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक और निगम के नाम संयुक्त रूप से बन्धक या दृष्टिबन्धक आदि रख सकता है और उक्त बन्धक या दृष्टिबन्धक आदि को संबंधित बैंक द्वारा निगम को जो पुनर्वित्त-राशि वापस अदा की जानी है उसकी जमानत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा पिछली वार्षिक रिपोर्ट में निगम के इस निर्णय का उल्लेख किया गया था कि उधारकर्त्ताओं के स्वामित्वाधिकार की विपण्यता और अधिक संख्या के कृषकों की योजनाओं के मामले में जमानत के रूप में उधारकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संपत्ति की विस्तृत जांच रिपोर्ट पर जोर नही दिया जायेगा। अब यह रियायत ऐसी दूसरी योजनाओं के लिए भी लागू की गयी है जिनके लिए अलग अलग व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों या मिश्रित पूंजी कंपनियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अब निगम (निगम के मॉलिसिटर या एडवोकेट के रूप में दिये गये) बैंक के मॉलिसिटर या एडवोकेट का इस आशय का प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा कि संपत्ति पर उधारकर्त्ता का स्वामित्वधिकार विपण्य है और वह किसी भी प्रकार के भार या दोष से मुक्त है।

भाग IV

प्रशासन और लेखे

क्षेत्रीय कार्यालय

34. निगम ने इस वर्ष हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और कानपुर मे अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोले। कलकत्ता, कोयंबत्तूर और बंगलूर में पहले ही खोले गये क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ निगम के कुल क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या अब सात हो गयी है। प्रत्येक केन्द्र में ये कार्यालय एक उप-प्रबन्धक के अधीन कार्य करते है। इन केन्द्रों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और आवश्यकता होने पर दूसरे केन्द्रों में नये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है।

सदस्यता

35. इस वर्ष (1) नेडूगाडी बैंक लि० और (2) बनारस राज्य बैंक लि०, ये दो अनुसूचित वाणिज्य बैंक निगम के सदस्य हुए। विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारियों द्वारा निगम की शेयर पूंजी में जो अंशदान किया गया था उसकी राशि 30 जून 1969 को निम्नप्रकार थी।

रुपये करोड़ों में

संस्था	शेयरधारियों की संख्या	किस धारा के अधीन शेयर लिये गये है	शेयरों की संख्या	शेयरों का मूल्य
1. रिजर्व बैंक आफ इंडिया	1	5(2)(क)	2,500	250.00
		5(4)	444	44.40
2. केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	18	5(2)(ख)	1,356	135.60
3. राज्य सहकारी बैंक	20			
4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	38	5(2)(ग)	700	70.00
5. भारतीय जीवन बीमा निगम	1			
6. दूसरी बीमा और निवेश कंपनियां	2			
7. सहकारी बीमा समितियां	2			
	82		5,000	500.00

36. इस वर्ष के अंत मे जो शेयरधारी थे उनकी सूची परिशिष्ट 6 में दी गयी है।

37. लेखा विवरण से यह मालूम होगा कि सभी व्ययो की व्यवस्था करने के बाद निगम को इस वर्ष 21,38,115.84 रुपयों का वास्तविक लाभ हुआ है; आपके निदेशकों ने इस राशि पर निम्नप्रकार कार्रवाई करने की सिफारिश की है:

1. प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते डालना	1,887 00
2. आरक्षित निधि मे अंतरित करना	11,000.00
3. शेयर धारियो को वार्षिक 4½% की दर पर लाभांश अदा करना	21,25,000.00
4. अवितरित लाभ	228.84
	21,38,115.84

जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया है, यही पहला वर्ष है जब कि कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम की धारा 6 के अधीन निगम को भारत सरकार से कोई आर्थिक सहायता लेने की आवश्यकता नही पड़ी।

निदेशक बोर्ड

38. पहली वार्षिक सामान्य बैठक मे जो निदेशक चुने गये थे उनकी अवधि पांचवी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को समाप्त हुई। पांचवी वार्षिक बैठक की तारीख को श्री एन० ए० कल्याणी, कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम की धारा 10(घ) के अधीन श्री उदयभानसिंहजी के स्थान पर निदेशक के रूप में चुने गये, क्योंकि श्री उदयभानसिंहजी दूसरी बार चुनाव के लिए खड़े नही हुए। श्री एम० आर० पटेल और श्री एम जी० पारिख क्रमशः कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम की धारा 10(छ) और 10(च) के अधीन पुन. निदेशक के रूप में चुने गये। उक्त अधिनियम की धारा 10(ग) के अनुसार भारत सरकार ने निगम के निदेशक बोर्ड में श्री बी० शिवरामन, श्री पी० पी० आई० वैद्यनाथन और श्री एस० एम० शिरालकर के स्थान पर क्रमशः श्री बी० आर० पटेल, श्री एम० ए० कुरैशी और श्री डी० एल० घोष को नामित किया।

39. निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री के० सी० चेरियन संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्न और कृषि संगठन के नियत कार्य के लिए विदेश गये। 16 मई 1969 से श्री के० माधव दास ने निगम के प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार संभाला।

40. श्री उदयभानसिंहजी, श्री बी० शिवरामन, श्री पी०पी० आई० वैद्यनाथन, श्री एस०एस० शिरालकर और श्री के० सी० चेरियन ने निगम की जो अमूल्य सेवाएं की हैं उनके लिए निदेशक उनके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

41. इस वर्ष बोर्ड की आठ बैठकें हुईं; कार्यकारिणी समिति की कोई बैठक नही हुई।

11 अगस्त 1969

निदेशकों की ओर से
पी० एन० डामरी
अध्यक्ष

परिशिष्ट 1

30 जून 1969 तक निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं का उद्देश्य के अनुसार वितरण*

रुपये करोड़ो मे

योजना का उद्देश्य	योजनाओ की संख्या	कुल वित्तीय परिव्यय	निगम के वायदे	राज्य सरकारो, बैंकों और पार्टियो के वायदे	निगम से लिये गये ऋण और निगम द्वारा अभिदत्त किये गये डिबेचर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लघु सिचाई का विकास	125	116 85	105.11	11.74	18.83
2. भूमि सुधार	30	38 96	30.58	8 38	12.34
3. ट्रैक्टरों/बिजली चालित हलो की सहायता से खेतो का मशीनीकरण	2	0.63	0.50	0.13	0 14
4. भूमि सरक्षण	2	2.38	2.14	0.24	1.54
5. बागानो और फलो के बागो का विकास	62	16 91	13.77	3 14	2.07
6. मुर्गी पालन	5	0.50	0.44	0.06	0.01
7. मछली क्षेत्र का विकास	5	3.10	1.77	1.33	0.56
8. डेरी विकास	1	0.83	0.30	0.53	—
9. गोदामो का निर्माण	1	1.87	1.87	—	1.00
	233	182.03	156.48	25 55	30.49

*मंजूर की गयी परतु बाद मे रद्द की गयी योजनाओ को छोडकर ।

परिशिष्ट 2

30 जून 1969 तक निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का वित्तीय सहायता करनेवाली एजेन्सियों के अनुसार वितरण*

रुपये करोड़ो मे

वित्तीय सहायता करनेवाली एजेन्सी का प्रकार	योजनाओ की सख्या	कुल वित्तीय परिव्यय	निगम के वायदे	राज्य सरकारो, बैंको और पार्टियो के वायदे	निगम से लिये गये ऋण और निगम द्वारा अभिदत्त किए गये डिबेचर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	178	170.58	147.17	23.41	27.85
राज्य सहकारी बैंक	10	6 97	5.62	1.35	1.56
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	45	4.48	3.69	0.79	1.08
	233	182 03	156.48	25.55	30.49

*मजूर की गयी परतु बाद मे रद्द की गयी योजनाओ को छाड़कर ।

परिशिष्ट 3

30 जून 1969 तक निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं का राज्यो के अनुसार वितरण*

रुपये करोडो मे

राज्य/सघशासित क्षेत्र का नाम	योजनाओं की सख्या	कुल वित्तीय परिव्यय	निगम के वायदे	राज्य सरकारो, बैंको और पार्टियो के वायदे	निगम से लिये गये ऋण और निगम द्वारा अभिदत्त किये गये डिबेचर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आध्र प्रदेश	60	32 76	28 18	4 58	8 09
असम	5	0 86	0 86	—	0 69
बिहार	4	13 56	11 59	1 97	0 18
दिल्ली	2	0 17	0 16	0 01	—
गुजरात	16	9 66	8 50	1 16	2 07
हरियाणा	7	11 83	10 53	1 30	3 03
जम्मू और काश्मीर	2	1 05	0 79	0 26	0 32
केरल	14	5 28	3 90	1 38	0 16
मध्य प्रदेश	11	12 21	10 93	1 28	0 31
महाराष्ट्र	10	9 44	8 29	1 15	1 89
मैसूर	32	22 67	18 15	4 52	2 61
उडीसा	3	0 67	0 55	0 12	0 04
पजाब	21	26 53	23 97	2 56	6 53
राजस्थान	5	3 86	3 38	0 48	0.07
तमिलनाडु	21	13 47	11.23	2 24	3 26
उत्तर प्रदेश	16	15 88	13 85	2 03	1.22
पश्चिम बगाल	4	2 13	1 62	0 51	0.02
	233	182 03	156 48	25.55	30 49

*मजूर की गयी परतु बाद मे रद्द की गयी योजनाओं को छोड़कर ।

परिशिष्ट 4

राज्य, वित्तीय सहायता करनेवाली एजेन्सी और योजनाओं के उद्देश्य अनुसार 30 जून, 1969 को समाप्त हुए वर्ष में निगम के डिबेंचरों में अभिदान की गई राशि और निगम से लिए गए ऋण

राज्य का नाम	वित्तीय सहायता करने वाली एजेन्सी का प्रकार	योजना का स्वरूप	जारी किए गए डिबेंचरों और प्राप्त किए गए ऋणों की कुल राशि	निगम के डिबेंचरों में अभिदान और निगम से लिए गए ऋण	रुपये लाखों में राज्य सरकारों बैंकों और पार्टियों का अंशदान
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि सुधार	164.000	143.100	20.900
		लघु सिंचाई	30.700	27.630	3.070
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	मुर्गी पालन	1.000	1.000	—
			195.700	171.730	23.970
2. असम	—वही—	बागान/बागबानी	44.000	44.000	—
3. बिहार	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	20.000	18.000	2.000
4. गुजरात	—वही—	लघु सिंचाई	210.000	189.000	21.000
		बागान/बागबानी	6.000	4.500	1.500
			216.000	193.500	22.500
5. हरियाणा	—वही—	लघु सिंचाई	254.330	228.897	25.433
		बागान/बागबानी	5.250	3.938	1.312
		ट्रैक्टर	15.000	11.250	3.750
			274.580	244.085	30.495
6. जम्मू और काश्मीर	—वही—	बागान/बागबानी	28.000	21.000	7.000
7. केरल	—वही—	बागान/बागबानी	2.000	1 500	0.500
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान/बागबानी	5.150	5.150	—
			7.150	6.650	0.500
8. मध्य प्रदेश	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	34.500	31.050	3.450
9. महाराष्ट्र	—वही—	लघु सिंचाई	36.000	32.400	3.600
		भूमि संरक्षण	54.000	48.600	5.400
			90.000	81.000	9.000
10. मैसूर	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि सुधार	106.780	80.085	26.695
		बागान/बागबानी	22.220	16.665	5.555
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान/बागबानी	2.830	2.830	—
	राज्य सहकारी बैंक	मछली-क्षेत्र	36.210	36.210	—
			168.040	135.790	32.250

1	2	3	4	5	6
11. उड़ीसा	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	बागान/बागबानी	4.000	3.600	0.400
12. पंजाब	—वही—	लघु सिंचाई	527.800	475.020	52.780
		भूमि संरक्षण	2.760	2.070	0.690
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	100.000	100.000	—
			630 560	577.090	53.470
13. राजस्थान	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि सुधार	1.300	0.975	0.325
		लघु सिंचाई	6.400	5.760	0.640
			7.700	6.735	0.965
14. तमिलनाडु	—वही—	भूमि सुधार	135.000	101.250	33.750
		लघु सिंचाई	26.000	23.400	2.600
		बागान/बागबानी	2.250	1.687	0.563
			163.250	126.337	36.913
15. उत्तर प्रदेश	—वही—	लघु सिंचाई	13.870	122.283	13.587
16. पश्चिम बंगाल	—वही—	बागान/बागबानी	2.000	1.500	0.500
		कुल जोड़	2021.350	1784.350	237.000

परिशिष्ट 5

30 जून, 1969 को निगम के विचाराधीन रहनेवाली योजनाओं का राज्य और उद्देश्य के अनुसार विवरण

रुपये लाखों में

राज्य	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय परिव्यय	कृ० पु० नि० का अंशदान
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	लघु सिंचाई	23	1934.57	1741.12
	सुअर पालन केंद्र	1	21.49	21.49
	भूमि सुधार	1	2.00	2.00
		25	1958.06	1764.61
2. असम	बागान	5	44.98	44.98
3. बिहार	लघु सिंचाई	3	537.82	484.04
	डेरी	2	74.25	74.25
		5	612.07	558.29
4. गुजरात	लघु सिंचाई	32	2086.25	1878.63
	भूमि सुधार	1	50.00	37.50
	ट्रैक्टर	1	40.00	30.00
	गोदाम	1	2.30	2.30
		35	2178.55	1948.43

1	2	3	4	5
5. हरियाणा	लघु सिंचाई	5	696.00	626.40
	डेरी	1	60.00	45.00
	गोदाम	1	99.00	99.00
		7	855.00	770.40
6. जम्मू और काश्मीर	बागान/बागबानी	1	95.00	71.25
7. केरल	भूमि सुधार	3	1352.55	1014.41
	मछली क्षेत्र	2	123.15	106.00
	बागान	5	30.83	30.83
		10	1506.53	1151.24
8. मध्य प्रदेश	लघु सिंचाई	5	598.86	538.98
	ट्रैक्टर	1	75.00	56.25
	डेरी	1	159.00	159.00
		7	832.86	754.23
9. महाराष्ट्र	लघु सिंचाई	29	3129.39	2816.46
	बागान/बागबानी	3	781.04	585.78
	मछली क्षेत्र	2	105.16	71.37
	मुर्गी पालन	2	5.75	5.75
	डेरी	1	2.33	2.33
	भूमि विकास	1	5.00	5.00
		38	4028.67	3486.69
10. मैसूर	लघु सिंचाई	9	1620.27	1458.25
	बागान/बागबानी	41	465.00	396.11
	भूमि संरक्षण	1	20.00	15.00
	गोदाम	1	336.42	252.32
	डेरी	1	50.00	50.00
		53	2491.69	2171.68
11. उड़ीसा	लघु सिंचाई	2	48.00	43.20
	बागान/बागबानी	2	195.30	143.10
	भूमि सुधार	3	83.14	62.36
		7	326.44	248.66
12. पंजाब	लघु सिंचाई	7	2030.00	1827.00
	भूमि संरक्षण	3	374.50	280.88
	ट्रैक्टर	2	5321.17	3991.17
		12	7725.67	6099.05
13. राजस्थान	लघु सिंचाई	7	536.71	483.04

1	2	3	4	5
14. तमिलनाडु	लघु सिंचाई	7	890 80	801 72
	मछली क्षेत्र	1	88 70	52 08
	भेड़ पालन	1	5 73	5 73
	मुर्गी पालन	1	11 91	9.89
	डेरी	1	29 25	21.94
	बागान/बागबानी	6	36.54	36 54
	भूमि विकास	5	14.93	14.93
		22	1077.86	942.83
15. उत्तर प्रदेश	लघु सिंचाई	14	2136 22	1922.10
	गोदाम	1	480 00	480.00
	ठंडे गोदाम	1	563.15	295 45
	बागान/बागबानी	1	3.50	3.50
		17	3182 88	2701 05
16. पश्चिम बंगाल	मुर्गी पालन	2	2 28	2.28
	ठंडे गोदाम	1	5.00	5.00
		3	7.28	7 28
	कुल जोड़	254	27460 25	23203 71

परिशिष्ट 6

30 जून 1960 को शेयरधारियों की सूची

केन्द्रीय भूमि विकास बैंक

1. आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
3 बिहार राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
4. बम्बई राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
5. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
6 हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
7 जम्मू और काश्मीर सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
8. केरल सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
9 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
10 मद्रास केन्द्रीय सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
11 मैसूर केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
13 पांडिचेरी राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
14 पंजाब राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
15 राजस्थान केन्द्रीय सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
16. त्रिपुरा सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
17. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
18 पश्चिम बंगाल केन्द्रीय सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड

राज्य सहकारी बैंक

19. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
20. असम सहकार शिखर बैंक लिमिटेड
21. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
22 दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
23 गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
24 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
25 जम्मू और काश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
26. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
27 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
28 मद्रास राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
29 महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
30 मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
31. मैसूर राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
32 उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
33 पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
34 पंजाब राज्य सहाकरी बैंक लिमिटेड
35. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
36. त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
37 उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड
38. पश्चिम बंगाल प्रांतीय सहकारी बैंक लिमिटेड

अनुसूचित बैंक

39. दि अलाहाबाद बैंक लिमिटेड
40. दि आंध्र बैंक लिमिटेड
41. दि बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड
42. दि बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड
43. दि बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
44. बैंक ऑफ़ मदुरा लिमिटेड
45. दि बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र लिमिटेड
46. दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
47. कैनरा बैंक लिमिटेड
48. दि कैनरा बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
49. दि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
50. दि चार्टर्ड बैंक
51. देना बैंक लिमिटेड
52. दि हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
53. दि इंडियन बैंक लिमिटेड
54. दि इंडियन ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड
55. दि कर्नाटक बैंक लिमिटेड
56. दि कुंभकोणम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
57. मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
58. नैशनल एण्ड ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड
59. दि नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड
60. दि पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड
61. दि रत्नाकर बैंक लिमिटेड
62. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
63. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
64. स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर
65. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपर
66. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
67. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
68. स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र
69. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर
70. दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
71. सिंडीकेट बैंक लिमिटेड
72. दि यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
73. युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
74. दि युनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड
75. दि विजया बैंक लिमिटेड
76. दि वैश्य बैंक लिमिटेड

दूसरे शेयर धारी

77. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया
78. भारतीय जीवन बीमा निगम
79. दि न्यू इंडिया अश्यूरन्स कंपनी लिमिटेड
80. सरस्वती बीमा कंपनी लिमिटेड
81. सहकारी आग और सामान्य बीमा समिति लिमिटेड
82. सहकारी सामान्य बीमा समिति लिमिटेड

परिशिष्ट 7

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि पुनर्वित्त निगम के 30 जून 1969 तक के संलग्न तुलन पत्र और निगम के उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न लाभ-हानि लेखे की जाँच की है और हम यह सूचित करते हैं कि :

(1) हमारे लिए जो-जो जानकारी और स्पष्टीकरण आवश्यक थे वे सब हमें प्राप्त हुए और वे संतोषजनक पाये गये ।

(2) हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है यह तुलन पत्र हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और निगम की बहियों के अनुसार पूर्ण और सही तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये है और यह तुलन पत्र निगम के अधिनियम और सामान्य विनियमों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि निगम के कार्यों की सच्ची और सही हालत का पता लग सके ।

बम्बई, 12 अगस्त 1969

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कंपनी,
सनदी लेखापाल

परिशिष्ट 8
कृषि पुनर्वित्त
30 जून, 1969

30-6-1968 को रु०	पै०	देयताएँ	रु०	पै०	रु०	पै०
		1. पूंजी :				
		प्राधिकृत				
25,00,00,000.	00	प्रति शेयर 10,000 रुपयों के 25,000 शेयर			25,00,00,000.	00
		जारी किये गये, अभिदत्त और प्रदत्त				
5,00,00,000.	00	प्रति शेयर 10,000 रुपयों के 5,000 शेयर प्रदत्त			5,00,00,000.	00
		2. आरक्षित निधि और अधिशेष :				
		आरक्षित निधि	रु० पै०			
4,000.	00	पिछले तुलनपत्र के अनुसार बकाया	5,000. 00			
		जोड़ा गया : लाभ-हानि लेखे से				
1,000.	00	अंतरित	11,000. 00			
5,000.	00			16,000. 00		
		लाभ-हानि लेखा				
19,47,214.	03	इस वर्ष का लाभ	21,38,115. 84			
		घटाया गया : बट्टे खाते डाला गया				
1,887.	00	प्रारंभिक व्यय	1,887. 00			
19,45,327.	03		21,36,228. 84			
		घटाया गया : आरक्षित निधि में				
1,000.	00	अंतरित	11,000. 00			
19,44,327.	03		21,25,228. 84			
19,44,327.	03	लाभांश के लिए अंतरित	21,25,000. 00	228. 84		
5,000.	00				16,228.	84
48,96,793.	10	3. विशेष जमा :			61,48,843.	10
		4. गारंटीकृत लाभांश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की गयी राशि :				
12,33,223.	08	(अधिनियम की धारा 6)			14,13,896.	05
		5. बांड और डिबेंचर :				
		6. केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण :				—
5,00,00,000.	00	(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन		5,00,00,000. 00		
3,00,00,000.	00	(ख) दूसरे ऋण		20,75,00,000. 00		
8,00,00,000.	00				25,75,00,000.	00
—		7. दूसरे उधार :				
		(क) रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया से				
—		(ख) दूसरों से				
—		(1) भारत में				
		(2) विदेश में				—
13,61,35,016.	18	आगे ले जाया गया			31,50,78,967.	99

निगम
की तुलन पत्र

30-6-1968 को रु० पै०	आस्तियां	रु० पै०	रु० पै०
	1. नकदी :		
448.07	(क) हाथ में	799.65	
85,817.17	(ख) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास	49,990.58	
	(ग) दूसरों के पास		
3,253.00	(1) भारत में	6,994.55	
—	(2) विदेश में	—	
89,518.24			57,784.78
	2. ऋण :		
73,49,140.00	(क) पुनर्वित्त के रूप में	2,54,94,645.00	
—	(ख) दूसरे	—	
—	घटाया गया : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	—	
73,49,140.00			2,54,94,645.00
11,90,37,750.00	3. डिबेंचर :		27,85,53,750.00
84,08,102.60	4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (क्रय मूल्य के अनुसार) :		51,45,041.00
	(अंकित मूल्य—रु० 50,94,100.00)		
	(बाजार मूल्य—रु० 51,45,041.00)		
2,10,502.29	5. निवेशों पर संचित ब्याज :		1,29,192.04
13,50,95,013.13	आगे ले जाया गया		30,93,80,412.82

		कृषि पुनर्वित्त 30 जून 1969	
30-6-1968 को रु० पै०	देयताएं	रु० पै०	रु० पै०
13,61,35,016.18	आगे लाया गया		31,50,78,967.99
	8. सावधि जमा :		
	(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की		
	(ख) दूसरों की		
	9. लाभांशों की व्यवस्था :		
19,44,327.03	लाभ-हानि लेखे से अंतरित की गयी रकम	21,25,000.00	
1,80,672.97	जोड़ा गया : अधिनियम की धारा 6 के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 28 (दुतरफा लाभांश घाटा लेखा देखिए) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली अदायगी	—	
21,25,000.00			21,25,000.00
24,26,243.62	10. कराधान की व्यवस्था:		20,25,514.62
	11. दूसरी देयताएं :		
1,91,186.23	अनियमित लेनदार		3,67,883.63
4,65,616.44	संचित ब्याज, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार से ऋणों पर प्राप्य ब्याज शामिल नहीं है		32,34,589.05
	फुटकर देयताएं		
	(क) भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के संबंध में आस्थगित अदायगी पर दी गयी गारंटी के कारण	—	
—	(ख) दूसरी मदें	—	—
14,13,43,062.47	जोड़		32,28,31,955.29

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

बम्बई, 12 अगस्त 1969

निगम
को तुलन पत्र (चालू)

30-6-1968 को रु०	पै०	आस्तियां		रु०	पै०	रु०	पै०
13,50,95,013.	13		आगे लाया गया			30,93,80,412.	82
		6. दूसरी आस्तियां :	रु० पै०				
46,542.	31	(क) फ़र्नीचर, जुड़नार आदि					
		(30-6-1968 तक का मूल्य)	1,38,041.19				
91,498.	88	जोड़ी गयी : इस वर्ष जोड़ी गयी	18,610.65				
1,38,041.	19		1,56,651.84				
		घटायी गयी : बेची गयी मदें	31,054.95				
			1,25,596.89				
		घटाया गया : आज की तारीख तक					
23,029.	66	का मूल्य ह्रास	32,369.82	93,227.07			
1,15,011.	53						
		(ख) सरकारी विभागों और दूसरी					
11,908.	30	संस्थाओं के पास जमा		28,379.16			
15,53,493.	11	(ग) फुटकर अग्रिम		46,49,361.48			
29,85,838.	59	(घ) डिबेंचरों पर संचित ब्याज		69,46,150.58			
		(ङ) ऋणों पर पुनर्वित्त के रूप में					
1,56,583.	05	संचित ब्याज		3,11,096.42			
13,205.	71	(च) प्रारंभिक व्यय	11,318.71				
		घटाया गया : इस वर्ष बट्टे खाते					
1,887.	00	डाला गया	1,887.00				
11,318.	71			9,431.71			
14,13,896.	05	(छ) लाभांश—घाटा लेखा		14,13,896.05			
62,48,049.	34					1,34,51,542.	47
14,13,43,062.	47		जोड़			32,28,31,955.	29

पी० एन० डामरी अध्यक्ष
के० माधव दास प्रबंध निदेशक

एम० ए० कुरैशी
एम० आर० पटेल
एन० ए० कल्याणी
एम० जी० पारिख
सी० डी० दाते
} निदेशक

बम्बई, 11 अगस्त 1969

परिशिष्ट 9

कृषि पुनर्वित्त

30 जून 1969 को समाप्त हुए

गत वर्ष रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
4,65,616.44	1. अदा किया गया ब्याज		44,18,972.61
8,25,592.81	2 वेतन और भत्ते		12,96,026.81
87,474.90	3 कर्मचारी भविष्य निधि, पेन्शन और दसरी निधियो मे अंशदान		1,37,358.73
1,500.00	4. निदेशको और समिति के सदस्यो के शुल्क		1,900.00
16,412.70	5. निदेशकों और समिति के सदस्यो की बैठक के संबन्ध में यात्रा और दूसरे भत्ते		12,977.62
58,053.87	6. किराया, म्युनिसिपल कर आदि, बीमा, बिजली आदि		1,30,647.14
93,202.44	7. यात्रा व्यय		1,12,773.76
40,542.23	8. छपाई और लेखन सामग्री		39,524.88
15,505.77	9. डाक, तार और टेलीफोन		21,635.43
632.33	10. सपति की मरम्मतें		1,947.15
3,000.00	11. लेखा परीक्षको के शुल्क		5,000.00
6,973.00	12. कानूनी व्यय		16,952.00
52,607.61	13. विविध व्यय		84,107.70
8,444.86	14. मूल्य ह्रास		11,075.01
23,80,300.00	15. कराधान की व्यवस्था		26,13,300.00
19,47,214.03	16. वास्तविक लाभ जो तुलन पत्र मे समाविष्ट किया गया		21,38,115.84
60,03,072.99	जोड		1,10,42,314.68

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कं०

सनदी लेखापाल

बम्बई, 12 अगस्त 1969

निगम
वर्ष का लाभ हानि लेखा

गत वर्ष रु०	पै०		रु०	पै०	रु०	पै०
		1. प्राप्त ब्याज				
48,33,094.03		(क) ऋणों और डिबेंचरों पर	1,02,02,032.24			
11,69,968.96		(ख) निवेशों पर (आय स्रोत पर काटा गया कर रु० 1,50,428.00)	8,38,683.40			
60,03,062.99					1,10,40,715.64	
—		2. भांजन, कमीशन आदि				—
		3. दूसरी मदें :				
10.00		(क) शेयर अंतरण शुल्क	4.00			
—		(ख) विविध प्राप्तियाँ	1,595.04			
—		(ग) वायदा प्रभार	—			
10.00					1,599.04	
60,03,072.99		जोड़			1,10,42,314.68	

पी० एन डामरी	अध्यक्ष
के० माधव दास	प्रबन्ध निदेशक
एम० ए० कुरैशी एम० आर० पटेल एम० ए० कल्याणी एम० जी० पारिख सी० डी० वाले	निदेशक

बम्बई, 11 अगस्त 1969

STATE BANK OF TRAVANCORE

(Subsidiary of the State Bank of India)

Incorporated in India under Special Statute The Liability of the Members is Limited.

Head Office.

Trivandrum, the 22nd June 1970

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Travancore will be held at the Bank's Head Office, "Ana Cutcherry" Trivandrum, on Wednesday the 26th August, 1970, at 11.00 A.M. (Standard Time) for the purpose of electing a person to be a Director on the Board of the Bank in pursuance of Secion 33(1)(b) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the Act (ibid), in place of Shri S. V. Pandit who has resigned his Directorship from the Board before the expiry of his term of office, *viz.* 6-1-1973.

S. D. VARMA
General Manager

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Indore, the 20th June 1970

No. MP/(18)-15/69-Estt.—In partial modification of this office Notification of even No. dated 24th February, 1970, the following amendments are made to the list of members of the Local Committee, Bhopal formed under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.

Under Regulation 10-*A* 1(*d*)

Item No. 4.

Read—Shri Ranjit Vithaldas,
Central India Flour Mills,
Bhopal.

For—Shri Narendra Vithaldas,
Central India Flour Mills,
Bhopal.

Under Regulation 10-*A* 1(*e*)

Item No. 9.

Read—Shri Govind Prasad Shrivastava,
Communist Party (Lal Jhanda Union),
Bhopal.

For—Shri Govind Prasad Shrivastava,
Straw Products Mazdoor Union,
Bhopal

Item No. 10.

Read—Shri Durga Shankar Tiwari,
Textile Mill Mazdoor Congress,
Bhopal

For—Shri Durga Prasad Tiwari,
Textile Mill Mazdoor Congress,
Bhopal.

No. MP/(18)15/69-Estt.—In partial modification of this office Notification of even No. dated 24th February, 1970, the following amendments are made to the list of members of the Local Committee, Burhanpur formed under Regulation 10A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.

Under Regulation 10-*A* 1(*d*)

Item No. 4.

Read—Shri R. S. Bhandari,
Secretary,
Burhanpur, Tapti Mill Ltd.,
Burhanpur.

For—Shri S. R. Bhandari
Office Superintendent,
Tapti Mills,
Burhanpur.

Item No. 5.

Read—Shri Y. T. Monkar,
Factory Superintendent,
Burhanpur Tapti Mill Ltd.,
Burhanpur.

For—Shri Y. T. Modkar,
Factory Superintendent,
Tapti Mills Ltd.,
Burhanpur.

Item No. 6.

Read—The Manager,
Burhanpur Tapti Mill Ltd.,
Burhanpur.

For—D. J. Jilla,
Phiroze Sethna Industries,
Burhanpur.

L. P. GUPTA
Regional Director

New Delhi, the 30th June 1970

No. 12(1)6/68-*Med.II.*—In pursuance of the resolution passed by the E.S.I. Corporation at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon me the powers of the Corporation under regulation 105 of E.S.I. (General) Regulation, 1950, and in supersession of the Notification No. 12(1)6/68-Med.II dated 27-5-70, I hereby authorise Medical Officer, Incharge Gwalior Rayon Silk Mfg. (Wvg.) Co. Hospital, Nagda to function as Medical authority with effect from 1st June 1970 within the jurisdiction of Nagda centre for purposes of Medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them where the correctness of the original certificates is in doubt.

T. C. PURI
Director General

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970